



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51847

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 920 वर्ष 2026

बदरुद्दीन

.....याची(गण)

बनाम

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, हरीश चंद्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्र सिंह, राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव तथा भूमि प्रबंधक समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-

"(a) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को गियासुद्दीन और अन्य बनाम बदरुद्दीन और अन्य के मध्य द्वितीय अपील संख्या 3815 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या **AL20251436003815** में 28.10.2025 से लंबित याची के स्थगन निरस्त करने के प्रार्थना पत्र के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल द्वितीय अपील को निर्णीत करने का निदेश दिया जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थियों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1-राजस्व परिषद के समक्ष दाखिल द्वितीय अपील संख्या 3815 वर्ष 2015, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20251436003815 लंबित है, जिसमें राजस्व परिषद द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में मनमाने ढंग से अंतरिम आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अंतरिम आदेश प्रदान किए जाने के पश्चात, याची ने राजस्व परिषद के समक्ष स्थगन निरस्त करने के प्रार्थना पत्र के साथ अपना विस्तृत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है, किंतु इसे आज तक निर्णीत नहीं किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि पूर्वोक्त द्वितीय अपील में दाखिल लंबित स्थगन निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को समयबद्ध अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करने के लिए उचित निदेश जारी किया जाए।
4. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 1-राजस्व परिषद को प्रत्यर्थी संख्या 1-राजस्व परिषद के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त द्वितीय अपील में दाखिल स्थगन निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को निर्णीत करने का निदेश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। आगे यह निदेश दिया जाता है कि स्थगन निरस्त करने के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 1-राजस्व परिषद पूर्वोक्त द्वितीय अपील संख्या **3815** वर्ष **2025**, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या **AL20251436003815** को प्रत्यर्थी संख्या 1-राजस्व परिषद के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से आठ माह की अवधि के भीतर निर्णीत करेगा।

मार्च 13, 2026

पीएस*

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।